

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक :- 2859 /15-1, दिनांक, प्रयागराज, अप्रैल, 28 2024।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारवण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-60/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, दिनांक-07-07-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण करते हुये वांछित सूचना/अभिलेख ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज ने अपने पत्रांक 3506/15-1, दिनांक 20-03-2024 द्वारा इस कार्यालय को निम्न प्रकार अप्रैत कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है :-

Sr. No	Objections	Reply
1	2	3
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-40 पर संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।	क्षेत्रफल को सही कर दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
2.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	लीज अवधि प्रमाण पत्र के रूप में वचनबद्धता संलग्न है।
3.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जरिस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करें।	संलग्न है।
4.	पारवण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में पारवण लाइन के नीचे स्थित स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का 625 पौधे प्रति हे0 की दर से 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्रायकलन संलग्न किया गया है, जोकि भारत सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। अतः कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से प्रायकलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करें।	संशोधित प्रायकलन भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न CA की Sol Toposheet पर लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः लीजेण्ड अंकित कर संशोधित Sol Toposheet ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड करें।	संशोधित Sol Toposheet भाग-2 में अपलोड कर दिया गया है। संलग्न है।
7.	भूमि स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
8.	वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
9.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	संलग्न है।

10.	ऑनलाइन भाग-2 एवं हार्डकापी भाग-2 के District Profile में विवरण भिन्न-भिन्न है तथा हार्डकापी भाग-2 में CA & NPV की धनराशि भी गलत अंकित है।	सही विवरण अंकित कर दिया गया है।
11.	तीन वैकल्पिक रूट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(तुलसीदास)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

पत्रांक- 2859 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(तुलसीदास)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, प्रयागराज।

01C

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- 3506 /15-1 दिनांक, प्रयागराज, मार्च, 20/ 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज।

विषय:-

765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाइन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8084 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4108 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 09 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3458 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फरोहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4108 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-60/11-सी-FP/UP/TRANS/15538/2015, दिनांक-07.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आपकी सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्रम सं0	Objections	Reply
1	2	3
1.	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0-40 पर संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही क्षेत्रफल अंकित करें।	क्षेत्रफल को सही कर दिया गया है। अभिलेख संलग्न है।
2.	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निर्दिष्ट कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	लीज अवधि प्रमाण पत्र के रूप में वचनबद्धता संलग्न है।
3.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का 625 पौधे प्रति हे0 की दर से 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जोकि भारत सरकार के निर्देशानुसार नहीं है। अतः कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करें।	संशोधित प्राक्कलन संलग्न है। भाग-2 में upload कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न CA की Sol Toposheet पर लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः लीजेण्ड अंकित कर संशोधित Sol Toposheet ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	संशोधित Sol Toposheet भाग-2 में upload कर दिया गया है।
7.	भूमि स्वामित्व विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
8.	वन स्वरूप चिह्नित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
9.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिह्नित नहीं है।	संलग्न है।
10.	ऑनलाइन भाग-2 एवं हार्डकापी भाग-2 के District Profile में विवरण भिन्न-भिन्न है तथा हार्डकापी भाग-2 में CA & NPV की धनराशि भी गलत अंकित है।	सही विवरण अंकित कर दिया गया है।
11.	तीन वैकल्पिक रुट्स का Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

(अरविन्द कुमार यादव)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- /समदिनांक।

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक (पारेषण), एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।